न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 180/2020 कैम्प भीलवाड़ा

श्रीमती जीवणी पत्नि श्री रामस्वरूप गुर्जर आयु वयस्क निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0)

—अपीलांट

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सा0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा(राज0) बप्रकरण संख्या 168/2017 सरकार बनाम श्रीमती जीवणी कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट निर्णय दिनांकित 10.01.2018 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 21/2018 अपील निर्णय दिनांकित 23.05.2018

उपस्थित अभिभाषकः—श्री बी0एल0गर्जर(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः—29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम समेलिया तहसील शाहपुरा के आराजी नम्बर 1001 रकबा 1.25 हे0 किस्म बंजड़ भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर संवत 2074 फसल खरीफ के दौरान उड़द कास्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलांट श्रीमती जीवणी पत्नि रामस्वरूप गुर्जर आयु वयस्क निवासी सारांश के विरूद्ध एल आरएक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही आरम्भ की गई। प्रकरण संख्या 168/17 पर दर्ज कर बाद सुनवाई तहसीलदार शाहपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 10.01.2018 को अतिक्रमी अपीलांट को विवादित खसरा नम्बर से बेदखल करने , पैनाल्टी वसूल करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया।

तहसीलदार के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। जिसे 21/2018 नम्बर से दर्ज किया गया। उक्त अपील में बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 23.05.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपील को खारिज करते हुए तहसीलदार के निर्णय को यथावत रखा। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर तत्समय अपीलांट द्वारा न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में अपील दर्ज करवायी गयी। जिसे दिनांक 05.06.2018 को 193/2018 नम्बर से दर्ज किया जाकर उक्त पत्रावली को बाद में दिनांक 17.12.2019 को राजस्व ग्रुप—6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से पत्रावली सुनवाई हेतु प्रेषित की गई। जिसे दिनांक 03.2020 को 180/2020 नम्बर से दर्ज किया गया। उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:40 IST
Reason: SelfAttested

1. बिना तामील करवायें अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।
2. पश्चातवृति अतिक्रमी बिना आधार के माना है।

3. अपीलांट का कोई कब्जा विवादित भूमि पर नहीं है। अंत में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2018 को अपास्त किया जायें एवं सिविल कारावास की सजा तथा अर्थदण्ड को माफ किया जायें।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित रहे। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि विवादित भूमि ग्राम सारांश में भूमि की किस्म बीलानाम बंजड़ है। अतिक्रमण किस बात का है यह नही बताया है। मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया गया है। पश्चातवृति अतिक्रमण बाबत कोई पूर्व निर्णय की प्रति नहीं है। अपीलांट विकलांग है। एक महिने की सजा सुनाई गई है। उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2001 पेज 475 पेश किये है।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 23.05.2018 का है तथा अपीलांट द्वारा तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 05.06.2018 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने यह कहा है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना को स्थगित नहीं किया गया तो अपीलांट का अपील पेश करना निरर्थक हो जायेगा। अतः अपीलाधीन निर्णय की पालना अपील निस्तारण तक स्थगित रखी जायें। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण संख्या 168/17 निर्णय दिनांक 10.01.2018 का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार "मैने पत्रावली में अधोपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकोर्ड से अतिक्रमण स्थल अप्रार्थी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अप्रार्थी नियमित अतिचारी होकर पश्चातवृति अतिचारी है एवं अप्रार्थी द्वारा पूर्व में भी अतिचार किया। जिससे अप्रार्थी को बेदखल किया गया था। परंतु अप्रार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया। इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा बयान दिया गया। पटवारी हल्का के बयान अनुसार अप्रार्थी नियमित अतिचारी है एवं अप्रार्थी को पूर्व में कईं बार मौके से बेदखल किया गया। किंतु अप्रार्थी द्वारा बार–बार अतिचार किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी आदतन अतिचारी है। अतिक्रमण की इस प्रवृत्ति को कमजोर किया जाना नितांत आवश्यक है।" उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है। कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करते समय पूर्ववर्ती निर्णय का हवाला नही दिया है। ना ही पूर्ववर्ती निर्णय की प्रति पत्रावली पर रखी है। मात्र पटवारी के बयानों को आधार मानकर निर्णय दिया जाना पाया जाता है। पटवारी के बयानों की कोई जिरह नही करवायी गयी है। कोई स्वतंत्र गवाह का परीक्षण भी करवाया जाना नहीं पाया जाता है। वर्तमान प्रकरण पर वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2001 पेज 475 बजरंगा बनाम तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। उसमें दी गई फाइण्डिंग के अनुसार सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के लिए तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक था कि पूर्व में जो आराजी से प्रार्थीगण को बेदखलन किया गया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली उसके आदेश की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपी रिकोर्ड पर प्रस्तुत करते। उसके पश्चात बेदखली के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी रिकोर्ड पर लेते एवं उसके आधार पर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर सकते थे। बिना सक्षम साक्ष्य के आदेश नहीं पारित किया जा सकता था। वर्तमान प्रकरण पर उक्त फाइण्डिंग सही सही रूप से चस्पा होती है। क्योकि तहसीलदार ने अपने निर्णय में पूर्व निर्णय उनका, पूर्व निर्णय दिनांक तथा पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी पत्रावली पर लिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। साथ ही उसके द्वारा पटवारी हल्का, अपीलांट एवं स्वतंत्र गवाहों के कोई साक्ष्य भी नही लिये गये । ना ही जिरह का कोई अवसर नही दिया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:40 IST
Reason: SelfAttested

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जल्दबाजी में कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। पश्चातवृति अतिक्रमी मानने बाबत कोई सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद न होते हुए भी गलत रूप से अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी माना है। मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर किया गया निर्णय उचित नहीं जान पड़ता है। प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रथम अपील निर्णय में उक्त बातों का ध्यान न रखते हुए तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय को यथावत रखने में भूल की है। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 21/2018 निर्णय दिनांक 23.05.2018 एवं तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण संख्या 168/2017 निर्णय दिनांक 10.01.2018 को सिविल कारावास की सजा की हद तक अपास्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:40 IST
Reason: SelfAttested